



केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
(An ISO 9001:2015 Certified Institute)

विद्युत वितरण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान समिति

एस.पी.वी.-2, नयागांव, जबलपुर (म.प्र.) 482008
Tel.No 0761-2660038 Extn 270-2360 FAX-2660038
email-mpez.training@gmail.com

कं./सचिव./वि.वि.प्र.अ.स./के.प्र.सं./236

जबलपुर दिनांक 22/01/2020

प्रति,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

नोटिस बोर्ड शक्ति भवन / सी.टी.आई. जबलपुर/वेबसाइट

विषय: केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नयागांव रामपुर जबलपुर में स्थित प्रशिक्षु छात्रावास परिसर में स्थित कैंटीन संचालन देने एवं ट्रेनी कर्मियों को सुबह का चाय नाश्ता दोपहर का भोजन, शाम की चाय एवं रात्रि भोजन प्रदाय करने हेतु।

महोदय,

कृपया निम्न सेवाकार्य के लिए न्यूनतम दर इस कार्यालय को 12.02.2020 (अपराह्न 3.00 बजे तक) सीलबंद लिफाफे में अपने लेटर पैड अथवा संलग्न प्रोफार्मा में शेड्यूल - 1 के अनुसार प्रेषित करें:-

क्रमांक	विवरण	समय
1.	सुबह की चाय - एक कप चाय सिर्फ	सुबह 6.00 बजे से 8.00 तक
2.	सुबह का नाश्ता व चाय - दो पराठा चटनी व अचार के साथ अथवा दो ब्रेड पकोड़ा व चटनी अथवा दो समोसा व चटनी अथवा दो कचौड़ी व चटनी अथवा दो आलूबण्डा व चटनी अथवा पोहा 100 ग्राम एवं एक कप गर्म चाय	सुबह 8.00 बजे से 10.00 तक
3.	दोपहर का भोजन - (लंच) तुअर दाल, चावल तथा रोटी, एक मौसमी सब्जी, सलाद एवं अचार, पापड़, रायता (भर पेट भोजन)	दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक
4.	शाम की चाय एवं बिरकुट	शाम 5.30 बजे से 6.30 बजे तक
5.	रात्रि भोजन - तवा रोटी, तुअर दाल, चावल, एक मौसमी सब्जी एवं अचार, पापड़, सलाद व एक मिठाई (भर पेट भोजन)	रात्रि 8.30 बजे से 10.30 बजे तक

कैंटीन संचालन हेतु पात्रता


1. संचालक के पास फर्म के नाम का पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. नंबर होना आवश्यक है।
2. संचालक के पास फर्म के नाम का मैस/कैंटीन/होटल का कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
3. संचालक के पास फर्म के नाम का खाद्य विभाग का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

उपरोक्त सभी सेवाओं का प्रति व्यक्ति दर (समस्त करों सहित) अपने कोटेशन में इंगित करें।

नियम व शर्तें :-

1. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नयागांव जबलपुर में स्थित प्रशिक्षु छात्रावास परिसर में स्थित कैंटीन संचालन देने हेतु सोसाईटी स्तर पर केवल स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। हीटर/कूलर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कैंटीन संचालक को प्रतिमाह रु 1200/- की दर से किराया देना होगा (किराये में 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा), जिसमें स्थान, पानी व बिजली सम्मिलित है। उक्त किराया प्रतिमाह 10 तारीख तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। समय पर किराया न देने पर 10% मासिक दर से अधिभार देना होगा। तीन माह से अधिक किराया बाकी होने पर कैंटीन संचालन का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
2. भोजन बनाने, परोसने एवं खिलाने के बर्तन तथा गैस चूल्हा सिलेण्डर आदि की व्यवस्था आपकी होगी। खाना बनाने हेतु कमर्शियल गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जायेगा। खाना बनाने, परोसने तथा खाने के बर्तनों की स्वच्छता अनिवार्य है।
3. भोजन प्रदाय न्यूनतम एवं अधिकतम समय-समय पर प्रबंधक की सूचना के आधार पर हो सकेगा। व्यक्तियों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन समय के पूर्व सूचित कर दिया जायेगा। खाने के मेनू का उचित परिवर्तन भोजन को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिये आवश्यक है, इस संबंध में प्रबंधक के निर्देशों का पालन आवश्यक है।
4. भोजन के मेनू में गुणवत्ता एवं स्वच्छता आवश्यक है। भोजन में सज्जियों बदल-बदलकर देना है, बासा एवं अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं होगा। खाना टेबिल पर लगाया जायेगा और प्रशिक्षु अपनी आवश्यकतानुसार ले सकेंगे। भोजन के साथ स्वच्छ पेयजल प्रदाय करना उपरोक्त सेवा में शामिल होगा।
5. केन्द्रीय संचालक प्रशिक्षुओं से साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर भोजन की राशि प्राप्त करेगा एवं दैनंदिनी पंजी बनायेगा।
6. भोजन बनाने एवं परोसने हेतु व्यक्ति साफ कपड़े पहनेगे एवं आवश्यकतानुसार हेड कैप तथा दरताने का उपयोग करेंगे। वर्ष में एक बार कैंटीन में कार्यरत कर्मियों को स्वास्थ्य परीक्षण करना अनिवार्य होगा।
7. सेवाकाल एक वर्ष का रहेगा। मूल आदेश अवधि में रेट एक वर्ष के लिये वैध (स्थिर) रहेंगे। इस दौरान मूल्य के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार (एक्सटेंशन), संतोषजनक सेवा एवं आपसी सहमति/स्वीकृति होने पर समिति द्वारा प्रथम आदेश के बराबर की अधिकतम अवधि के लिये किया जा सकेगा। एक वर्ष पूर्ण होने पर, सेवा विस्तार होने पर अनुमोदित दर पर अधिकतम 10% की दर से वृद्धि की जा सकेगी।
9. सेवा आदेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अंदर सुरक्षानिधि रूपये 5000/- (पाँच हजार रूपये) VVTRS जबलपुर को जमा कराना आवश्यक होगा। सेवा समिति पर सुरक्षानिधि (बिना ब्याज के) वापिस कर दी जायेगी। सुरक्षानिधि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने की दशा में सेवा आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
10. सेवा में कमी पाये जाने, समय का पालन न करने पर अथवा भोजन की गुणवत्ता खराब होने पर सचिव को किसी भी दिन सेवा आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। समय-समय पर सचिव/प्रोग्रामर/उपसचिव केन्द्रीय का निरीक्षण करेंगे। नियम व शर्तों का पालन न करना, भोजन के मीनू में कमी, गुणवत्ता अथवा मात्रा में कमी पाये जाने पर कैंटीन संचालन का आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रशिक्षुओं की शिकायतें जैसे भोजन समय पर न देना, निर्धारित मात्रा से कम देना, मीनू में कमी पाये जाना, स्वच्छता पूर्ण न होना अथवा निर्धारित राशि से ज्यादा लेना होना आदि शिकायतें प्राप्त होने पर सचिव को किसी भी समय कैंटीन संचालन का आदेश निरस्त करने का अधिकार है। शिकायत के आधार पर अथवा सेवा में कमी होने पर आदेश निरस्त किये जाने की दशा में सुरक्षा निधि वापिस नहीं की जायेगी।
11. खाना बनाने, सामान रखने तथा कैंटीन हेतु दिये गये स्थान की साफ-सफाई की व्यवस्था कैंटीन संचालक को करनी होगी। प्रशिक्षुओं को हाथ धोने, पोछने हेतु साबुन, तौलिया प्रदान करना सेवा में शामिल रहेगा।
12. निविदा बिना किसी कारण के निरस्त करने का अधिकार इस कार्यालय को सुरक्षित है।
13. कोटेशन दिनांक 12.02.2020 अपराह्न 3:15 पर कार्यालय में खोले जायेंगे। जिसमें आप स्वयं या आपके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

नोट:- खुला कोटेशन, कोटेशन में काट-पीट, ओवर रायटिंग, अस्पष्ट रेट आदि पाये जाने पर कोटेशन निरस्त कर दिया जायेगा। कोटेशन खुलने के समय अगर किसी भी फर्म का पेन नंबर, जी.एस.टी. नंबर, खाद्य रजिस्ट्रेशन, दो वर्ष का अनुभव न होने पर कोटेशन उसी समय निरस्त कर दिया जायेगा।


सचिव
विद्युत वितरण प्रशिक्षण एवं
अनुसंधान समिति
जबलपुर

शेड्यूल - 1

कोटेशन

फर्म/केटरर/होटल/कैंटीन संचालक का नाम व पता

दिनांक

.....

फोन नंबर

1. मेरी फर्म का जीएसटी नंबर
2. मेरी फर्म का पैन नंबर
3. खाद्य विभाग का रजिस्ट्रेशन नं०
4. कार्य का अनुभव वर्ष

प्रति,

सचिव
 विद्युत वितरण प्रशिक्षण
 एवं अनुसंधान समिति
 जबलपुर

आपकी इन्क्वायरी क्रमांक दिनांक के अनुसार
 छात्रावासों में कैंटीन चलाने हेतु मेरी दर निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	समय	रेट प्रति व्यक्ति प्रति नग
1	सुबह की चाय - एक कप चाय सिर्फ	सुबह 6.00 बजे से 8.00 तक	रुपये
2	सुबह का नाश्ता व चाय - दो पराठा चटनी व अचार के साथ अथवा दो ब्रेड पकोड़ा व चटनी अथवा दो समोसा व चटनी अथवा दो कचौड़ी व चटनी अथवा दो आलूबण्डा व चटनी अथवा पोहा 100 ग्राम एवं एक कप गर्म चाय	सुबह 8.00 बजे से 10.00 तक	रुपये
3	दोपहर का भोजन -(लंच) तुअर दाल, चावल तथा रोटी, एक मौसमी सब्जी, सलाद एवं अचार, पापड़, रायता (भर पेट भोजन)	दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक	रुपये
4	शाम की चाय एवं बिस्कुट	शाम 5.30 बजे से 6.30 बजे तक	रुपये
5	रात्रि भोजन - तवा रोटी, तुअर दाल, चावल, एक मौसमी सब्जी एवं अचार, पापड़, सलाद व एक मिठाई (भर पेट भोजन)	रात्रि 8.30 बजे से 10.30 बजे तक	रुपये
	कुल		रुपये

उपरोक्त दर में सभी टैक्स शामिल हैं।
 मुझे इन्क्वायरी की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर